न्यायालय:-प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक 201/18

संजय सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह गुर्जर आयु 34 वर्ष निवासी ग्राम हरपुरा थाना गोहद तहसील गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

———आवेदव

বিক্তৱ

पुलिस थाना गोहद जिला भिण्ड

---अनावेदक

14-06-2018

आवेदक / अभियुक्त संजय की <mark>ओर से</mark> श्री यजवेंद्र श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक / राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

आरक्षी केंद्र गोहद से अप०क० 84/18 धारा 188 भा०दं०सं० से संबंधित केस डायरी मय पुलिस प्रतिवेदन प्राप्त।

आवेदक / अभियुक्त संजय की ओर से अधिवक्ता श्री यजवेंद्र श्रीवास्तव ने प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया है कि उक्त प्रथम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है, जिसकी पुष्टि में शपथपत्रकर्ता संजय सिंह ने स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है।

आवेदक के जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा ४३८ दं०प्र०सं० पर उभयपक्ष को सुना गया।

आवेदक / अभियुक्त संजय की ओर से निवेदन किया गया है कि आवेदक के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक निर्दोष है तथा आवेदक को परेशान करने के उद्देश्य से आवेदक के विरूद्ध झूंठी कार्यवाही की गई है। आवेदक को चुनावी रंजिश व पार्टी बंदी के आधार पर झूंठा अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का कोई मोबाईल द्वारा गलत मैसेज नहीं किये गये हैं। यदि आवेदक को गिरफतार कर लिया गया तो उसकी समाज में प्रतिष्ठा धूमिल हो जायेगी। अतः इन्हीं सब आधारों पर उसे अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने भिण्ड जिले में जातिगत आधारों पर दंगे भड़कने के दौरान भड़काउ मैसेज सोशल मीडिया पर आवेदक / अभियुक्त द्वारा किये जाने के कारण अपराध को गंभीर स्वरूप का होना बताते हुये अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त करने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदन पर विचार करते हुये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन सहित केस डायरी का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि अभियोजन के अनुसार जिला भिण्ड क्षेत्रांतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा सोशन मीडिया पर आपित्तिजनक अथवा भड़काउ मैसेज नहीं भेजने के संबंध में डी.एम. भिण्ड द्वारा दिनांक 04.04.18 को आदेश पारित किये जाने एवं उसका प्रचार—प्रसार किये जाने के बावजूद आवेदक/अभियुक्त संजय द्वारा दिनांक 06. 04.18 को 00:50 बजे गोहद क्षेत्र में गोहद मित्र मंडल ग्रुप पर अपने मोबाईल कमांक 9926282030 पर जातिगत आधार पर विभिन्न समुदाओं में दंगा भड़काने संबंधी मैसेज भेजने पर आरक्षी केंद्र गोहद में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 188 भा0दं०सं० के अंतर्गत अपराध कमांक 84/18 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

इस प्रकार डी.एम. भिण्ड के द्वारा कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु जारी विधिवत आदेश के उल्लंघन में आवेदक / अभियुक्त के द्वारा सोशल मीडिया पर जातिगत आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला संबंधी कार्य किया जाना बताया गया है और पुलिस प्रतिवेदन अनुसार उक्त कृत्य उस समय के दौरान करना बताया गया है, जबिक भिण्ड जिले में विभिन्न संगठनों द्वारा भारत बंद के आव्हान पर अत्यंत तनाव की स्थिति बनी हुई थी।

अतः अपराध की गंभीरता सहित मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुये आवेदक/अभियुक्त संजय को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार आवेदक संजय की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं०प्र०सं० स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को विधिवत बापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड